पत्रांक–6ए/एन–11–01/2026.........91(6A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

।। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ ।।

प्रेषक,

डॉ0 रेखा झा,
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

दिनांकः 06/02/2026

विषयः नवनियुक्त ए०एन०एम० कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–577(6), दिनांक–29.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक आदेश द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में कुल–7468 अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में ए०एन०एम० के पद पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया गया है, उक्त नवनियुक्त ए०एन०एम० कर्मियों के शैक्षणिक एवं तकनीकी आदि प्रमाण पत्रों की सत्यापन तीन माह के अंदर कराते हुए वेतनादि का भुगतान किये जाने हेतु प्रासंगिक आदेश में निदेश दिया गया था, परन्तु आठ माह बीत जाने के उपरांत भी उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त नहीं कराया गया है जो खेदजनक है।

अतः जिन ए०एन०एम० कर्मियों DATA HRMS के पोर्टल पर नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से DATA On Boarding हो चुका है, उनके वेतनादि के भुगतान इस शर्त के साथ करना सुनिश्चित की जाय की यदि उनके प्रमाण पत्र गलत, फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो वेतन भुगतान के रूप में दी गई राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी। साथ हीं उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित की जाय।

विश्वासभाजन
6/2/26
(डॉ0 रेखा झा)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

1 D:\Section 06\Vyas Sir\Letter.docx